



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/५६/२०१६/एफ०सी० /161

दिनांक : 29-6-16

सेवा में,  
विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/14361/2015


विषय: संभल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन०एच०-९३) किमी० १४६ की बांयी पटरी पर ग्राम-रसुलपुर के खसरा संख्या-१४९ में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.२१३८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ८ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी० -९२/१४-२-२०१६-८००(८८)/२०१६, दिनांक- ०८.०६.२०१६

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

1. In part I as Sr. No. A-1(ix) non forestland required for proposal is mentioned as zero which is incorrect.
2. As part II the progress of compensatory afforestation in the Division is very low. Reasons may be intimated.
3. The proposal is submitted with three different versions of part-I and two versions of part II. Reasons for doing so may be elaborated.
4. At Sr. No. 11 of part II information regarding violation of FCA-1980 "No Data" has been mentioned, which needs clarification.
5. At several places of proposal correction with white ink has been done without authenticated.
6. In two different versions of part I data regarding employment generation varies.
7. The crown density of forest patch varies in two versions of part-II submitted with the proposal.
8. The area calculation for proposed forest land is incorrect and does not match with the approved layout plan.
9. The toposheet at page 36 is without title, legend and idex.
10. The site inspection report with the proposal at page 40 is not as per GOI approved format.

  
29/6/16

11. There are corrections on layout plan of the proposal without authentication of the competent authority.
12. The enumeration list of trees enclosed is without botanical names.
13. The compensatory afforestation scheme is without incorporating provision for cost escalation.
14. The compensatory afforestation site is located on protected forest along road side which may be relocated to block forest patch.
15. The proposal is without NPV calculation.
15. CF has written that he has inspected but inspection report of CF has not been provided with the proposal.

इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों में कुछ बिन्दुओं पर त्रुटियां प्रत्येक प्रकरण में पायी जा रही है। जो यह इंगित करता है कि किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को जांचा नहीं जा रहा है जिससे प्रस्ताव में अनावश्यक पत्राचार एवं प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दें कि बिना जाँचें प्रस्ताव को अग्रेषित न किया करें।

प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।


संलग्नक— मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मण्डलीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ0 प्र0।
3. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश पत्रावली

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}